न्यायालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, भोजपुर, आरा।

पीठासीन–आशुतोष कुमार (उच्चतर न्यायिक सेवा)

भरण–पोषण वाद सं0–146/2022

BRBJ010086572022

(आवेदन अंतर्गत धारा–125 द0प्र0स0)

भारती कुमारी उर्फ कुमारी भारती पति/श्री धनजी प्रसाद पिता/श्री ददन प्रसाद,
निवासी ग्राम–अगरसंडा, पो0 बेहरा, थाना–आरा मुफसिल
जिला–भोजपुर।
वर्तमान पता–
ग्राम–बेलघाट, पोस्ट–बहुऑ, थाना–आरा मुफसिल,
जिला–भोजपुर।
मोबाईल सं0–9007689280

.....आवेदिका

बनाम

धनजी प्रसाद उर्फ धनजी कुमार पिता/स्व0 अलख प्रसाद,
ग्राम–अगरसंडा, पो0 बेहरा, थाना–आरा मुफसिल,
जिला–भोजपुर।

.....विपक्षी

आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ताः–श्री धरणीधर पाण्डेय

विपक्षी की ओर से विद्वान अधिवक्ताः–

आवेदन दाखिल करने की तिथि.....16.07.2022
आवेदन ग्रहण करने की तिथि.....27.09.2022
वाद एकपक्षीय सुनवाई हेतु नियत करने की तिथि.....05.10.2024
निर्णय आरक्षित करने की तिथि.....05.05.2026
निर्णय की तिथि.....01.06.2026
स्वीकृत/अस्वीकृत.....स्वीकृत

निर्णय

1. प्रस्तुत वाद भारती कुमार उर्फ कुमारी भारती द्वारा अपने पति विपक्षी धनजी प्रसाद उर्फ धनजी कुमार के विरूद्ध द0प्र0स0 की धारा 125 के

अंतर्गत दाखिल कर भरण–पोषण भत्ता के रूप में अपने एवम् अपनी पुत्री लिए प्रतिमाह मो0 80,000/–रु0 (अस्सी हजार रूपया) एवं वाद खर्च हेतु एकमुस्त 2,00,000/– (दो लाख रूपया) दिलाने हेतु लाया गया है।

2. संक्षेप में, याची का कथन इस प्रकार है कि इसकी शादी विपक्षी पति के साथ हिंदू रीति–रिवाज के अनुसार दिनांक 23.05.2019 को इसके पिता के घर बेलघाट, थाना आरा मुफसिल, जिला–भोजपुर से संपन्न हुई थी। दोनों के वैवाहिक संबंध से एक पुत्री शिवानी कुमारी दिनांक 21.05.2020 को पैदा हुई, जो उसी समय से अपनी मॉ के पास है। इसके पिता इसकी शादी में दो लाख पैतीस हजार रूपये नगद बारात खर्च के रूप में विपक्षी को दिये, इसके अतिरिक्त 32,000/–रूपये का सोने का सिकड़ी इसे एवम् 15,000/–रूपये मूल्य का बर्तन उपहार में दिये थे। शादी के दूसरे दिन यह विदा होकर ससुराल ग्राम–अगरसंडा गई और कुछ दिनों तक वहॉ रहने के बाद विपक्षी पति के बम्बे स्थित आवास पर गई, जहां विपक्षी का व्यवसाय है। विपक्षी पति का मुम्बई महाराष्ट्र में अपना मकान है, वहॉ विपक्षी की मॉ, भाई एवं अन्य परिवार रहते हैं और वहॉ विपक्षी एवम् उसके भाइयों का अलग–अलग व्यवसाय है। यह मुम्बई में ही गर्भवती हुई और इसी बीच विपक्षी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई तथा विपक्षी पति का अनैतिक संबंध अपनी भाभी के साथ हो गया, जिसे इसने अपनी ऑखों से देखी है। इसके द्वारा इस बात का विरोध करने पर विपक्षी पति इसके साथ मारपीट करने लगा और विपक्षी की भाभी भी इसके विरूद्ध विपक्षी का कान भरती रहती थी। विपक्षी अपनी भाभी की बात पर इसको बुरी तरह से मारपीट करता था एवम् भर पेट भोजन भी नहीं देता था। विपक्षी पति इसे सात माह की गर्भवती हालत में इसे आरा रेलवे स्टेशन पर लाकर छोड़ दिया तथा कहा कि तुम अपने मायके चली जाओ। इसके पश्चात् यह अपने मायके आ गयी तथा मायके में ही एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसे विपक्षी पति देखने तक नहीं आया। यह विपक्षी पति के साथ उसके घर जाने का प्रयास की, लेकिन वह इसे अपने घर नहीं ले गया। विपक्षी पति पर्याप्त साधन के बावजूद इसका एवं इसकी पुत्री का भरण–पोषण हेतु एक पैसा नहीं देता है। यह घरेलू महिला है, जिसे अपना एवम् अपनी पुत्री का भरण–पोषण हेतु आमदनी का स्वतंत्र साधन नहीं है। विपक्षी को मुम्बई में सूखा फल एवं किराने की बहुत बड़ी दुकान है, जिससे सभी तरह का खर्च काटकर करीब आठ हजार रूपया प्रतिदिन की आमदनी होती है। इस प्रकार उक्त व्यवसाय से उसे दो लाख चालीस हजार रूपये प्रतिमाह की आमदनी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी पति के अपने पैतृक गॉव मुम्बई में अपना मकान है। विपक्षी आमदनी एवं रहन–सहन के अनुसार आवेदिका को भोजन, वस्त्र, आवास एवं अन्य जरूरी खर्च पचास हजार रूपये प्रतिमाह हो जायेगा एवं अबोध पुत्री के पौष्टि आहार, कपड़ा एवं दवा खर्च तीस हजार रूपये प्रतिमाह अलग से होगा। अंत में, इसके द्वारा प्रार्थना किया गया है कि इसे एवम् इसकी बच्ची के भरण–पोषण, आवास एवं वस्त्र खर्च हेतु 80,000/–रु0 प्रतिमाह एवं मुकदमा खर्च हेतु एकमुस्त 2,00,000/–रूपया विपक्षी पति से दिलाया जाय।

3. उपरोक्त तथ्यों को वर्णित कर आवेदिका पत्नी ने भरण–पोषण के लिए यह वाद इस न्यायालय में दिनांक 16.07.2022 को दाखिल किया, जो दिनांक 27.09.2022 को इस न्यायालय द्वारा सुनवाई हेतु ग्रहण किया गया। तत्पश्चात् विपक्षी के विरुद्ध उपस्थिति हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस निर्गत किया गया, परन्तु विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुआ, तब बाध्य होकर न्यायालय द्वारा दिनांक 05.10.2024 के आदेश से इस वाद की कार्रवाई विपक्षी के विरुद्ध एकपक्षीय सुनवाई हेतु निश्चित किया गया।

4. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आवेदिका विपक्षी से भरण–पोषण की राशि प्राप्त करने की हकदार हैं अथवा नहीं ? यदि है, तो कब से?

मंतव्य

5. दौरान विचार आवेदिका की ओर से अपने कथन के समर्थन में कुल तीन साक्षियों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर उसका परीक्षण कराया गया है, जिसमें आवेदिका साक्षी संख्या–1 के रूप में स्वयं आवेदिका भारती कुमारी उर्फ कुमारी भारती, आवेदिका साक्षी संख्या–02 निशांत कुमार आवेदिका का भाई एवं आवेदिका साक्षी संख्या–3 शारदा यादव दोनों उभय पक्ष को जानने वाले हैं।

आवेदिका की ओर से उपरोक्त मौखिक साक्ष्य के अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

6. आवेदिका ने साक्षी सं0–1 के रूप में उपस्थित होकर अपने आवेदन में लिखित कथनों का पूर्णतः समर्थन करते हुए यह कही है कि इसकी शादी विपक्षी पति के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिनांक 23.05.2019 को इसके पिता के घर ग्राम–बेलघाट, थाना–आरा मुफस्सिल, जिला–भोजपुर से संपन्न हुई थी। इसे विपक्षी के वैवाहिक संबंध से एक पुत्री शिवानी कुमारी का जन्म दिनांक 21.05.2020 को हुआ और उसी समय से वह इसके साथ रहती है। इसकी शादी में इसके पिता दो लाख पैतीस हजार रूपये नगद बारात खर्च के रूप में विपक्षी को दिये, इसके अतिरिक्त 32,000/–रूपये का सोने का सिकड़ी इसको एवं 15,000/–रूपये का बर्तन उपहार स्वरूप दिये थे, जिसे विपक्षी पति ने छीनकर रख लिया है। शादी के दूसरे दिन यह विदा होकर ससुराल ग्राम–अगरसंडा गई और कुछ दिनों तक अगरसंडा रहने के बाद विपक्षी पति के मुम्बई स्थित आवास पर गई, जहां विपक्षी का व्यवसाय है। विपक्षी पति का मुम्बई महाराष्ट्र में अपना मकान है जहां विपक्षी की मॉ, भाई एवं अन्य परिवार रहते हैं जहां विपक्षी एवं उसके भाइयों का अलग–अलग व्यवसाय है। आवेदिका मुम्बई में ही गर्भवती हुई और इसी बीच विपक्षी के बड़े भाई की मृत्यु हो गई तथा विपक्षी पति का अनैतिक संबंध अपनी भाभी के साथ हो गया, जिसे यह अपनी ऑखों से देखी है। इसके द्वारा इस बात का विरोध करने पर विपक्षी पति इसको मारपीट करने

लगा और विपक्षी की भाभी भी इसके विरूद्ध विपक्षी का कान भरती रहती थी। विपक्षी अपनी भाभी की बात पर इसको बुरी तरह से मारपीट करता था एवम् भर भेट भोजन भी नहीं देता था। विपक्षी इसके सात माह की गर्भवती हालत में रेलगाड़ी पर बैठाकर आरा रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया और वह इससे कहा कि अपने मायके चली जाओ। यह अपने माता–पिता के घर आ गई तथा मायके में ही पुत्री को जन्म दिया, जिसे देखने तक विपक्षी पति नहीं आया। यह विपक्षी पति के साथ उसके घर जाने का प्रयास की, लेकिन विपक्षी पति उसे अपने घर नहीं ले गया तथा बोला कि जहां शिकायत करनी है करो, पैसे से सब को खरीद लूँगा। यह घरेलू महिला है तथा इसे आमदनी का कोई स्वतंत्र साधन नहीं है, जिससे अपना तथा अपनी बच्ची का भरण–पोषण कर सके। विपक्षी पति पर्याप्त साधन के बावजूद इसे एवम् इसकी बच्ची का भरण–पोषण नहीं करता है। विपक्षी पति को खुद का मुम्बई महाराष्ट्र में सूखा फल एवं किराने की बहुत बड़ी दुकान है, जिससे प्रतिमाह दो लाख चालीस हजार रूपये आमदनी है। इसके अतिरिक्त विपक्षी पति का पैतृक गांव एवं मुम्बई शहर में अपना मकान है। विपक्षी आमदनी एवं रहन–सहन के अनुसार इसको भोजन, वस्त्र, आवास एवं अन्य जरूरी खर्च पचास हजार रूपये प्रतिमाह हो जायेगा एवम् अबोध पुत्री के पौष्टिक आहार, कपड़ा एवं दवा खर्च तीस हजार रूपये प्रतिमाह अलग से होगा। विपक्षी पति दिनांक 14.07.2022 से ही भरण–पोषण भत्ता देने से इंकार कर देने के पश्चात् उक्त वाद दाखिल करने की आवश्यकता हुई। यह लाचारी का जीवन व्यतीत कर रही है। विपक्षी पति दिनांक 14.07.2022 से ही भरण–पोषण भत्ता देने से इंकार कर देने के पष्चात उक्त वाद दाखिल किया और लाचारी का जीवन व्यतीत कर रही है। अंत में, इसके द्वारा प्रार्थना किया गया है कि इसे एवम् इसकी बच्ची के भरण–पोषण, आवास एवं वस्त्र खर्च हेतु 80,000 / –रु0 प्रतिमाह एवं इसके अतिरिक्त मार्ग व्यय सहित एकमुस्त 2,00,000 / –रूपया वाद खर्च विपक्षी पति से दिलाया जाय।

ठीक इसी प्रकार आवेदिका की ओर से अन्य साक्षी आवेदिका साक्षी संख्या–2 निशांत कुमार आवेदिका का भाई एवं आवेदिका साक्षी संख्या–3 शारदा यादव उभय पक्ष को जानने वाले हैं, ने भी अपने शपथ–पत्र के बयान में आवेदिका के वादपत्र एवम् साक्ष्य का अक्षरषः समर्थन किये हैं।

7. आवेदिका की ओर से प्रस्तुत तीनों साक्षियों का प्रतिपरीक्षण विपक्षी के द्वारा नहीं किया गया है क्योंकि इस वाद की कार्रवाई विपक्षी की अनुपस्थिति के कारण एकपक्षीय चल रही है। अतः बिना प्रतिपरीक्षण के ही इन तीनों साक्षियों को उन्मुक्त कर दिया गया।

8. आवेदिका को सुना एवम् अभिलेख का अवलोकन किया।

हस्तगत प्रकरण में आवेदिका, विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है, की पुष्टि अभिलेख के साथ संलग्न शादी कार्ड से होती है।

इसलिए एकपक्षीय रूप में अधिसंभाव्य है कि आवेदिका, विपक्षी की वैध विवाहिता पत्नी है।

न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या आवेदिका विपक्षी/पति से भरण–पोषण प्राप्त करने की अधिकारिणी है और यदि हॉ, तो भरण–पोषण की राशि क्या होनी चाहिए?

प्रस्तुत मामले में आवेदिका, विपक्षी की विवाहिता है, यह एकपक्षीय रूप में स्पष्ट है। भरण–पोषण प्राप्त करने हेतु आवेदिका पत्नी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक–16.07.2022 को योजित किया गया है, किन्तु अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदिका दिनांक–05.06.2025 को न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुई तथा शपथ–पत्र के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा न्यायालय के समक्ष दाखिल की है, जबकि कार्यवाही एकपक्षीय चल रही थी। आवेदिका द्वारा अपने वाद–पत्र एवम् संपत्तियों एवम् दायित्वों से संबंधित शपथ पत्र से यह स्पष्ट होता है कि आवेदिका अपना भरण–पोषण स्वयं करने में अक्षम है तथा वह वर्ष 2020 से अपने मायके में अपनी नाबालिग पुत्री के साथ रहकर किसी तरह अपना जीवन–यापन कर रही है क्योंकि विपक्षी पति उसे अपने घर से निकाल दिया है। आवेदिका के वादपत्र एवम् साक्षियों के साक्ष्य से यह विदित होता है कि विपक्षी पति के पास मुम्बई में सूखा फल एवम् किराने की बड़ी दुकान है, जिससे वह प्रतिमाह 2,40,000/–रु0 की आय अर्जित करता है, परन्तु आवेदिका की ओर से अपने इन कथनों के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। यद्यपि, आवेदिका द्वारा संपत्ति एवम् दायित्वों के संबंध में जो शपथ–पत्र दाखिल किया गया है, उसमें विपक्षी/पति के आय के कॉलम में अंकित कराया गया है कि उसके पास सूखे फल एवम् किराने की दुकान है, जिससे प्रतिमाह 2,40,000/–रु0 की आय होती है। आवेदिका द्वारा अपना मासिक खर्च 80,000/–रु0 अंकित कराया गया है, परन्तु खर्च का मद अनुसार विवरण नहीं दिया गया है। विपक्षी हस्तगत मामले की सुनवाई में उपस्थित नहीं रहे हैं और उसकी ओर से आवेदिका द्वारा शपथ–पत्र पर प्रस्तुत बयान का खंडन भी नहीं किया गया है तथा उसके द्वारा अपनी ओर से संपत्तियों एवम् दायित्वों के संबंध में भी कोई शपथ–पत्र दाखिल नहीं है, किन्तु उपरोक्त तथ्य से यह निश्चित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि विपक्षी/पति के पास मासिक आय का स्रोत है एवम् वह अपना, अपनी पत्नी एवम् पुत्री का भरण–पोषण करने में सक्षम है तथा पति होने के नाते उसका विधिक एवम् नैतिक कर्त्तव्य है कि वह अपनी अक्षम पत्नी का भरण–पोषण करे।

उपरोक्त परिस्थितियॉ समग्र रूप में यह इंगित करती है तथा यह अधिसंभाव्य है कि आवेदिका/पत्नी अपना भरण–पोषण करने में अक्षम है तथा विपक्षी/पति के पास आय का स्रोत है और वह आवेदिका का भरण–पोषण करने में सक्षम है।

अतः उपरोक्त तथ्यों एवम् परिस्थितियों के आधार पर आवेदिका का

वाद स्वीकार करने योग्य प्रतीत होता है। तद्नुसार,

आदेश

आवेदिका के वाद को एकपक्षीय रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को यह निर्देश दिया जाता है कि वह आवेदिका के भरण–पोषण हेतु प्रतिमाह मो0 5,000/–रु0 (पॉच हजार रुपया) एवम् पुत्री शिवानी कुमारी के भरण–पोषण व शिक्षा–दीक्षा हेतु प्रतिमाह मो0 2,000/–रु0 (दो हजार रुपया) कुल प्रतिमाह मो0 7,000/–रु0 (सात हजार रुपया) का भुगतान दिनांक–16.07.2022 से प्रत्येक अंग्रेजी माह की 15वीं तिथि तक आवेदिका के **बचत खाता** में अवश्य करे। साथ ही वाद खर्च के रूप में एकमुस्त 5,000/–रु0 (पॉच हजार रुपया) का भी भुगतान करे। विपक्षी पति के ऊपर अचानक वित्तीय बोझ न पड़े इसलिए वह आवेदिका को आदेश की तिथि तक अदत्त/बकाया राशि का भुगतान 20 समान बराबर किस्तों में करे।

भुगतान में व्यतिक्रम होने की स्थिति में आवेदिका कानूनी प्रकिया का अनुसरण कर सकती है। यदि आवेदिका, विपक्षी से किसी अन्य वाद या कार्यवाही में कोई राशि प्राप्त कर रही होगी, तो वह धनराशि इस आदेशित राशि में समायोजित होगी। आवेदिका अपना **बचत खाता सं0/बैंक विवरण** उपलब्ध कराए।

कार्यालय आदेश की प्रति पंजीकृत डाक से आवेदिका के **बैंक विवरण/बचत खाता संख्या** अंकित करते हुए उसके खर्च पर विपक्षी के पते पर प्रेषित करे तथा निस्तारित हस्तगत अभिलेख को नियमानुसार अभिलेखागार में जमा करे।

लेखापित एवं शुद्धिकृत

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
भोजपुर, आरा।
दिनांक–01.06.2026

लेखापित

प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय,
भोजपुर, आरा।
दिनांक–01.06.2026